झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषयः– झारखण्ड के स्थानीय निवासियों को नियोजन में प्राथमिकता।

कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग अधिसूचना सं0 3389 दिनांक– 22.09.2001 के क्रम में निर्गत संकल्प संख्या– 4536 दिनांक–08.08.2002 द्वारा राज्य सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया था कि जिला स्तरीय वर्ग–3 एवं वर्ग–4 (समूह 'ग' एवं 'घ') के पदों पर जिला के स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके नियोक्ता जिला स्तरीय पदाधिकारी होंगे। उन पदों के लिए जिलावार रिक्तियां विज्ञापित होगी। यह व्यवस्था प्रमण्डल स्तरीय वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के पदों के लिए भी थी अर्थात् प्रमण्डल स्तरीय उक्त पदों पर भी स्थानीय को प्राथमिकता दी जानी थी जिसके नियोक्ता राज्य स्तरीय पदाधिकारी यथा विभागीय सचिव/ विभागाध्यक्ष हों। झारखण्ड राज्य के सभी जिलों के 'स्थानीय व्यक्तियों' को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जानी थी, परन्तु यह व्यवस्था वर्ग–3 के वैसे पदों की नियुक्तियों में थी जिसका चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं किया जाना हो।

इसके साथ ही, उक्त संकल्प में प्राथमिकता का तात्पर्य यह था, कि "अन्य सभी मामलों में समानता (All Things being equal)" होने पर 'स्थानीय व्यक्तियों' को ही नियुक्त किया जायेगा।

2. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या WP(PIL) 4050/2002 के साथ–साथ WP(PIL) 3912/2002 प्रशांत विद्यार्थी एवं सुमन कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामलों में दिनांक–27.11.2002 को पारित आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा नये सिरे से विचार कर संकल्प संख्या–3198 दिनांक–18.04.2016 द्वारा "झारखण्ड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान की नीति घोषित की गयी है।

जिला/प्रमण्डल राज्य स्तरीय समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर नियुक्ति में क्रमशः जिला, प्रमण्डल एवं राज्य के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दिये जाने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या WP(PIL) 4050/2002 के साथ–साथ WP(PIL) 3912/2002 प्रशांत विद्यार्थी एवं सुमन कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामलों में दिनांक–27.11.2002 को आदेश पारित करते समय की गयी समीक्षा निम्नवत है :–

"We are saying so, because the impugned Notifications clearly mention that if "all other things are equal", preference will be given to local residents. In other words, if

such 'local residents' and non-local residents compete for a job, be it against a Class III post or a Class IV post and if the non-local resident secures a better merit than the local resident, undoubtedly the non-local would be appointed, but if by fixing objective and fair criteria in the selection process, the local resident and the non-local resident are both found equally placed, having equal merit, then naturally the local resident would be given preference. We find nothing illegal, unconstitutional or wrong in such approach of the State."

3. उल्लेख करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–5938, दिनांक– 14.07.2016 के अनुसार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले दस वर्षों के लिए राज्य के 24 जिलों में से 13 अनुसूचित जिलों में जिला स्तरीय वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के रिक्त पदों पर सम्बद्ध जिले के मात्र स्थानीय निवासी ही नियोजन के पात्र माने गये हैं। इन जिलों में दूसरे जिले/अन्य राज्य से व्यक्तियों की नियुक्ति संभव नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि परिपत्र सं0–5448 दिनांक–12.09.2011 के अनुसार किसी व्यक्ति को इस राज्य में आरक्षण की सुविधा तभी प्राप्त होगी, जब वह व्यक्ति इस राज्य का अधिवासी (Domiciled) हो और उसकी जाति झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (I) एवं पिछड़ा वर्ग–(II) के रूप में वर्गीकृत हो।

4. गैर अनुसूचित जिलों, प्रमण्डल स्तरीय पदों एवं राज्य स्तरीय पदों की रिक्तियों को भरने के लिए, जहां भर्ती के लिए आवेदन के निमित्त निवास स्थान विषयक कोई बन्धेज नहीं है, के मामले में यह निर्णय अपेक्षित था कि "अन्य सभी मामलों में समानता (All Things being equal)" होने पर झारखण्ड के स्थानीय निवासियों को नियोजन में प्राथमिकता होगी।

5. उपर्युक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "अन्य सभी मामलों में समानता (All Things being equal)" होने पर निम्न स्थितियों में झारखण्ड के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी :–

(i) जिला स्तरीय समूह 'ग' एवं 'घ' के पद, जिनके नियोक्ता जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, के पदों पर भर्ती के निमित्त "सम्बद्ध जिला के स्थानीय निवासी" चयन के पात्र होंगे।

(ii) प्रमण्डल स्तरीय समूह 'ग' एवं 'घ' के पद जिनके नियोक्ता प्रमण्डल स्तरीय पदाधिकारी हैं, के पदों पर भर्ती के निमित्त "सम्बद्ध प्रमण्डल के स्थानीय निवासी" चयन के पात्र होंगे।

(iii) राज्य स्तरीय समूह 'ग' के वैसे पद जिनके लिए झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं हो और समूह 'घ' के पद जिनके नियोक्ता राज्य स्तरीय पदाधिकारी यथा विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष इत्यादि हों, के पदों पर नियुक्ति के लिए "झारखण्ड के स्थानीय निवासी" चयन के पात्र होंगे।

408

6. इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व की अधिसूचना संख्या–3389 दिनांक– 22.09.2001, संकल्प संख्या– 4536 दिनांक– 08.08.2002 एवं 4737 दिनांक– 19.08.2002 अवक्रमित समझे जाएँगे ।

आदेश :– आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और उसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, झारखण्ड / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड / सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या–14 / स्थानीयता नीति–14–04 / 2016 का0–9567 / राँची, दिनांक 11/11/16

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

11/11/16

सरकार के प्रधान सचिव।